दिनाँक 05 फरवरी 2016 को सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 122वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

1.	श्री संजय अग्रवाल	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	प्रबन्ध निदेशक
3.	श्रीमती मंजू शंकर	उप निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	निदेशक
4.	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक(वाणिज्य) एवं निदेशक(वित्त) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
5.	श्री कृष्ण मुरारी मित्तल	निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
6.	श्री रामानन्द यादव	निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) एवं निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
7.	श्री एच0के0 अग्रवाल	कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	संयोजक

कम्पनी सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि श्री विशाल चौहान, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 एवं श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। निदेशक मण्डल ने इसे संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त दोनों निदेशकों को 'लीव ऑफ एबसेन्स' स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
122(01) दिनाँक 18 जनवरी, 2016 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 121वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	122(01) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
122(02) एम0ओ0यू0 रूट की 1X250 मे0वा0 क्षमता की औरैया तापीय परियोजना का कार्योत्तर अनुमोदन।	122(02) निदेशक मण्डल ने एजेण्डे में दिये गये तथ्यों के आलोक में मेसर्स यू0एम0 पावर लि0, औरैया को 75 प्रतिशत के बजाय, 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बैंक गारण्टी दिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 09.12.2013 में संशोधन किये जाने के प्रयोजन से इनर्जी टास्क फोर्स में प्रेषित किये जा चुके प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
122(03) विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, गोरखपुर के माह 04/98 से 07/99 तक की अवधि के अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय की विशेष सम्प्रेक्षा में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन।	122(03) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
122(04) मुख्य–मुख्य समीष्टों के निष्पादन की माह सितम्बर, 2015 की स्थिति।	122(04) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत माह सितम्बर, 2015 की मासिक फ्लैश रिपोर्ट में एफ0आर0पी0 लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व वसूली के विवरण पत्र का अवलोकन किया। निदेशक मण्डल ने निर्देश दिये कि निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की तरफ से दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में और सुधार की अपेक्षा है, के लिए उन्हें निर्देश भेजे जाय। निदेशक मण्डल ने निर्देशित किया कि भविष्य में प्रयास कर त्रैमासों की सूचना मुख्य–मुख्य समीष्टों से संबंधित एजेण्डा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
122(05) मुख्य सुरक्षा प्रहरी का 01 अस्थायी पद स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	122(05) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के मुख्यालय, शक्ति भवन हेतु मुख्य सुरक्षा प्रहरी का एक अस्थायी पद वेतन रू0 5200–20200 एवं ग्रेड पे रू0 2200/– में स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
122(06) राज्याधीन लोक सेवाओं में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर पदोन्नति के प्रक्रम में विकलांगजनों को आरक्षण की अनुमन्यता सम्बन्धी शासनादेश सं0 7/18/1/2008/ का–2/2015 दिनांक 28–07–2015 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	122(06) निदेशक मण्डल ने राज्याधीन लोक सेवाओं में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर पदोन्नति के प्रक्रम में विकलांगजनों को आरक्षण की अनुमन्यता सम्बन्धी शासनादेश सं0 7/18/1/2008/का–2/2015 दिनांक 28–07–2015 को उ0प्र0पावर कारपोरेशन तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों में अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

122(07)

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की कम्प्यूटर सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु उ0प्र0 शासन की विनियमावली से सम्बन्धित प्रमुख प्राविधानों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2015 में निम्नवत् समायोजित किये जाने का निर्णय लेते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्नक–01 एवं 02 पर उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2015 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय अपर निजी सचिव सेवा विनियमावली–2015 का अनुमोदन प्रदान करते हुए उसे प्रख्यापित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया :–

क्र0सं0	शासन की विनियमावली के प्राविधान	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय विनियमावली हेतु निर्धारित प्राविधान
01	शैक्षिक अर्हता– हाई स्कूल/इन्टरमिडिएट	शैक्षिक अर्हता– इन्टरमिडिएट
02	टंकण गति– 25 शब्द प्रति मिनट	टंकण गति– 25 शब्द प्रति मिनट
03	चतुर्थ श्रेणी के पद पर न्यूनतम् 05 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य	चतुर्थ श्रेणी के पद पर न्यूनतम् 05 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य
04	चरित्र पंजी एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेखों का अवलोकन चयन समिति अपने विवेकानुसार करेगी	**(क)** विगत 05 वर्षो की सत्यनिष्ठा प्रामाणित होना आवश्यक। **(ख)** 05 वर्षो में कम से कम 03 वर्षो की गोपनीय प्रवृष्टि संतोषजनक हो जिसमें से अन्तिम वर्ष की प्रवृष्टि का संतोषजनक होना आवश्यक।
05	लिखित परीक्षा का प्राविधान नही।	लिखित परीक्षा का प्राविधान।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
122(08) मेसर्स रिलायन्स पावर लि0 द्वारा तिलैया-अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हेतु हस्ताक्षरित पी0पी0ए0 को समाप्त करने हेतु दी गयी नोटिस के दृष्टिगत उक्त परियोजना के समस्त अधिकार मेसर्स रिलायन्स पावर लि0 से पुनः प्राप्त करने हेतु परियोजना को री-बिडिंग के माध्यम से पुनः शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाहियों पर अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	122(08) निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिये :- 1. मेसर्स जे0वी0यू0एन0एल0 द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, रांची शाखा में खोले गये एकाउण्ट जिसका विवरण नीचे दिये गया है, में उ0प्र0पा0का0लि0 के विभिन्न डिस्काम्स की तरफ से उ0प्र0 के अंश का टर्मिनेशन भुगतान कुल रू0 18.595 करोड़ जमा करा दिये जायें:- **Details of the Bank A/c** Name of Bank : State Bank of India Branch : Doranda, Ranchi A/c N0 : 35416184623 IFSC Code : SBIN0000212 Account Name : Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited. 2. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न प्रपत्र निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के हस्ताक्षर से भेजे जाने का अनुमोदन प्रदान किया:- i) Authorization Letter ii) Share Purchase Agreement iii) Escrow Agreement iv) Performance Bank Guarantee Discharge Letter v) Acceptance Letter to M/s Reliance Power Ltd. vi) Any other letter to be issued as deemed fit by Chairman, U.P.Power Corporation Ltd. 3. यह भी निर्णय लिया गया कि मेसर्स पी0एफ0सी0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले उपरोक्त प्रपत्रों में यदि कुछ संशोधन आवश्यक हो तो उसे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की तरफ से स्वीकृत प्रदान करने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अधिकृत किया गया।
122(09) उ0प्र0 में वितरण लाइसेन्सियों द्वारा विगत में स्थापित क्षमता, किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्धों, केन्द्रीय सेक्टर से उत्पादित ऊर्जा के अंश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली ऊर्जा में जलीय ऊर्जा के कुल ऊर्जा उपलब्धता के अनुपात के दृष्टिगत अग्रेतर जलीय स्रोतों से प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	122(09) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 में वितरण लाइसेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ऊर्जा में जलीय परियोजनाओं के अंश को बढ़ाने हेतु प्रथम चरण में 500 मे0वा0 कान्ट्रेक्टेड कैपेसिटी हेतु दीर्घकाली ऊर्जा क्रय (जलीय परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कम से कम 30 वर्ष) के उद्देश्य से मीडियम टर्म (एक वर्ष से पॉच वर्ष हेतु) प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत क्रय की गाइडलाईन्स एवं मानक बिडिंग प्रपत्रों में समुचित संशोधन पर उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया हेतु इनर्जी टास्क फोर्स को संस्तुति प्रेषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
122(10) मेसर्स सुखवीर एग्रो इनर्जी लि0 द्वारा 25 मे0वा0 अधिष्ठापित क्षमता के बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा को क्रय करने हेतु दिनांक 31.12.2015 को हस्ताक्षरित हुए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	122(10) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत प्रकरण पर निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किये :- क-मेसर्स सुखवीर एग्रो इनर्जी लि0 के साथ हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध को निरस्त किया जाये। ख-उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में सोलर एवं नान- सोलर ऊर्जा की श्रेणी को संयुक्त करते हुए आर0पी0ओ0 लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करने का अनुमोदन प्रदान किया। ग- प्रदेश में उपलब्ध नान-सोलर ऊर्जा स्रोतों से उचित दरों पर

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	ऊर्जा प्राप्त करने हेतु निगोशिएशन कर ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास किये जायें एवं अन्यथा की दृष्टि में आर0पी0ओ0 लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक बाण्ड के क्रय के विकल्प पर विचार किया जाये। घ– मेसर्स सुखवीर एग्रो इनर्जी लि0 द्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध में उल्लिखित दरों से कम दरों पर बायोमास ऊर्जा आपूर्ति किये जाने हेतु निगोशिएशन कर लिया जाय।
122(11) श्री संजय श्रीवास्तव(अभिज्ञान सं0 88035), अधीक्षण अभियन्ता की उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति अवधि तीन वर्ष अर्थात दिनांक 21.01.2016 से 20.01.2019 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	**122(11)** निदेशक मण्डल ने श्री संजय श्रीवास्तव (अभिज्ञान सं0 88035), अधीक्षण अभियन्ता की उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति अवधि तीन वर्ष अर्थात दिनांक 21.01.2016 से 20.01.2019 तक बढ़ाये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
122(12) समझौता ज्ञापन रूट के अन्तर्गत स्थापित की जा रही निजी क्षेत्र की ललितपुर फेस–I, ललितपुर–II, मिर्जापुर, भोगनीपुर–I एवं भोगनीपुर–II, मुर्का, बाराबंकी एवं औरैया तापीय परियोजनाओं में पीपीए के पश्चात् पूरी की जाने वाली शर्तों हेतु समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।	**122(12)** निदेशक मण्डल ने संज्ञान में लिया कि मेसर्स वेलस्पन पावर लि0 को छोड़कर अन्य पाँच(05) फर्मों ने प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत नियम एवं शर्तों (जो कि एजेण्डे के बिन्दु सं0 11 में वर्णित हैं) पर अपनी सहमति दी है जबकि मै0 वेलस्पन ने एजेण्डे के बिन्दु सं0 17 में वर्णित नियम एवं शर्तों पर अपनी सहमति दी है। निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य पाँच फर्मो (मै0 हिमावत, मै0 लैन्को अनपरा, मे0 क्रियेटिव थर्मोलाइट, मे0 पारेख एल्युमिनेक्स एवं मे0 यू0एम0 पावर लि0) को भी मेसर्स वेलस्पन द्वारा दी गई नियम एवं शर्तों का प्रस्ताव दे दिया जाय एवं उनसे दोनों में से किसी एक प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त कर ली जाय। निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी छः(06) फर्मों में से, केवल उन फर्मों के लिये, जिनकी बैंक गारण्टियाँ इनर्जी टास्क फोर्स को प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक पर वैध है, पूर्व लागू "No IDC during extended period" की शर्त को हटाते हुए, उनके द्वारा दी गई नियम एवं शर्तों (उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में से किसी एक) पर सहमति के आधार पर, उन्हीं नियम एवं शर्तों के अधीन conditions subsequent पूर्ण करने हेतु उन्हें दिनांक 31–03–2017 तक तृतीय समय विस्तार प्रदान किये जाने की संस्तुति के साथ प्रस्ताव इनर्जी टास्क फोर्स के विचारार्थ प्रेषित कर दिया जाय।

बैठक पूर्वान्ह 11:30 बजे प्रारम्भ होकर मध्यान्ह 12:00 बजे समाप्त हुई। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

दिनाँकः 20-02-2016
लखनऊ।

CHAIRMAN'S INITIAL